फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उंकारसिंह   बनाम   विपक्षी : श्री करणसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम   पत्रावली संख्या : 94/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी U.T. कर्ता मय विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 6 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि आराजी न. 44, 46, 47, 48, 49, 50 किता 6 रकबा 0.7200 है. भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा व एवं मोडा पुत्र गमाना 1/2 हिस्से के नाम पर अंकित है। मोडा पुत्र गमाना की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं विपक्षीगण के बीच मिट्स एण्ड बाउन्डस से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी के हिस्से कब्जे की भूमि में विपक्षीगण उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहें है साथ ही संयुक्त खातेदारी की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। विपक्षीगण अनुपस्थित रहें।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी द्वारा मूल वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया उसी के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर कथन कहा कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहें व संयुक्त खातेदारी की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी से दर्ज है जिसका विभाजन [illegible] हुआ [illegible] से प्रार्थी द्वारा मुल वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कि[illegible] भूमि में प्रार्थी का हित निहित है। मुल वाद के निस्तारण तक [illegible] से प्रा[illegible] भूमि के मौकं व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सकता [illegible]। अतः प्रथम दृष्टया [illegible] प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:01:57 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता
उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के
प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थ
काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तका
अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जवतरा पटवार हल्का सारंगपु
(भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 की खा
संख्या नया 6 की आराजी नम्बर 44, 46, 47, 48, 49, 50 किता 6 रकबा 0.720
हैक्टयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निंस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड क
यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:01:57 IST
Reason: SelfAttested